आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण– 44/2012** **बिरसा उरांव बनाम् श्रीमती फुलकुमारी जायसवाल एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–150-R15/1919-2000 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। इस वाद में ग्राम–हेहल के खाता नम्बर–25, प्लॉट–81, रकबा–1.78 एकड़ भूमि का विषय सन्निहित है। उपायुक्त द्वारा प्रश्नगत् अपील वाद में सभी पक्षकारों की सुनवाई एवं लिखित बहस के अवलोकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उक्त भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक–26.09.1946 को शिवराम उरांव को हस्तांतरित की जा चुकी थी। अतः आदिवासी रैयतों के वारिसों के द्वारा पुनः उक्त भूमि के वापसी हेतु दावा किया जाना उचित नहीं पाया गया। उपायुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि दिनांक–02.04.1948 को उक्त भूमि को खास महाल भूमि के रूप में पुनः शिवराम उरांव को उपायुक्त के स्तर से बंदोबस्त किया गया है। अतः यह भूमि खास महल के श्रेणी में आती है, जिस कारण इस भूमि पर धारा–71ए के तहत् भूमि वापसी का वाद पोषणीय नहीं है। इस निष्कर्ष के साथ उपायुक्त न्यायालय द्वारा इस वाद को अपर समाहर्त्ता के समक्ष खास महल भूमि के बिन्दु पर विस्तृत समीक्षा हेतु प्रति प्रेषित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर अपर समाहर्त्ता के स्तर से पारित आदेश/प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त प्रतिवेदन दिनांक–23.02.2015 को प्राप्त हुआ। उक्त तिथि के पश्चात् से ही उभय पक्ष न्यायालय से अनुपस्थित रहे। पक्षकारों के लगातार अनुपस्थिति एवं विषय की गंभीरता को देखते हुये उभयपक्षों को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थिति के लिये अखबारों के माध्यम से नोटिस प्रकाशित किया गया जो दिनांक–21.01.2022 को प्रकाशित हुआ। दिनांक–11.04.2022 को आवेदक इस न्यायालय में उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रश्नगत् भूमि के वापसी हेतु दावा किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि खास महल रजिस्टर के अनुसार उक्त भूमि शिवराम उरांव के नाम से खास महल के रूप में दर्ज है। दिनांक–02.04.1948 को 03 वर्षों के लिये यह भूमि लीज बंदोबस्त की गयी थी। उक्त शिवराम उरांव के द्वारा दिनांक–18.05.1948 को ही लीज के शर्तों का उल्लंघन करते हुये श्रीराम मोदी को भूमि हस्तांतरित कर दी गयी। लीज बंदोबस्ती	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	के शर्तों के अनुसार 01 वर्ष के भीतर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना था, जो नहीं करते हुये लीजधारी के द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन कर निबंधित केवाला से श्रीराम मोदी को भूमि हस्तांतरित कर दी गयी। इसके पश्चात् दिनांक–10.08.1961 को विपक्षी के पूर्वज शिव नारायण जायसवाल प्रश्नगत् भूमि के क्रेता एवं दखलकार हुये, जो अभी तक कायम है। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् भूमि खास महल श्रेणी की भूमि है। अतः उक्त भूमि पर भूमि वापसी की कार्रवाई किया जाना विधि सम्मत नहीं है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट होता है कि अपर समाहर्त्ता के द्वारा विविध वाद संख्या–05R15/2012-13 में आदेश पारित कर राज्य सरकार द्वारा खास महल भूमि के प्रबंधन निर्गत निदेशानुसार इस भूमि के संबंध में कार्रवाई पूर्ण करने हेतु खास महल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची को निदेशित किया गया है। उक्त विषय पर अंतिम निर्णय के संबंध में इस न्यायालय में जानकारी प्राप्त नहीं है। खास महल श्रेणी की भूमि राज्य सरकार को की विशिष्ट भूमि है, जिसके लीज नवीकरण आदि में राज्य सरकार का राजस्व सन्निहित है। वर्णित परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची–सह–खास महल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि इस भूमि के अभिलेख की समीक्षा करें एवं राज्य सरकार द्वारा खास महल भूमि के प्रबंधन हेतु निर्गत आदेश के आलोक में समुचित कार्रवाई 02 माह के भीतर सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति खास महल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित 18/11/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 18/11/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 12:00:40 +05:30
Location: 10.93.72.187